

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नावां

(पीठासीन अधिकारी (केम्प कोर्ट) कैम्प श्रीधर)

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी श्रीधर व भू.अ.नि. देवलीवाल की रिपोर्ट तथा तहसीलदार/नायब तहसीलदार लुणावा की अनुसंधान के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मुठगसोई तहसील नावां जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2073-2076 में खाता संख्या 124 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिया जाता है :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	मुठगसोई	124	ईश्वरराम पुत्र गोपीराम सां डेट	ईश्वरराम इन्द्र पुत्र गोपीराम सां डेट

पीठासीन अधिकारी
केम्प कोर्ट
उपखण्ड अधिकारी
नावां (डाइवान कुचमन)
दिनांक :- 26/6/25

क्रमांक/प्र.गा.के.स./2025/PD/24
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, नावां को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ईश्वरराम इन्द्र पुत्र गोपीराम को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
केम्प उपखण्ड अधिकारी
नावां (डाइवान कुचमन) (24)